

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण  
समज

बनाम  
बनाम

प्रतिवादीगण  
सुचना

प्रकरण :

मुकदमा नं.- 23 / 2021

हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज


नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुये।

वाद ग्रस्त खेतवाय मोजा डेह के खेत ख.न.  
273 रकवा 2.3014 हेक्टर अप्राधी स।  
के प्रति खेत प्राधी स. 1 को मां खेत तथा  
प्राधी स. 2 के पिता विमलेश कुमार के नाम  
1/3 हिस्सा खेतवादी में दर्ज है जिससे वाद  
ग्रस्त भूमि प्रथम दृष्टया पुरतैनी होना प्रतिक  
होती है। मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का  
सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति भी प्राधीगण के पक्ष  
में प्रतीत होने से अप्राधी स. 1 के विरुद्ध  
अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मोजा  
डेह के खेत ख.न. 273 रकवा 2.3014 हे.  
में प्राधीगण खेत अप्राधी स. 1 के 1/3  
हिस्से की भूमि का वैचान/हस्तांतरण/रहन  
आदि नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड की  
यथास्थिति आगामी तारीख पेरी रड बनाये  
रखने हेतु पावेद दिया जाता है।  
मिसल मिसल दिनांक 29/9/2022 को  
पेश हो

  
जिला कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

09.22 अज्ञात/पसकाराव क प्राधक

रीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में प्रथम  
अधकाश पर गये हुए हैं, इसलिए अज्ञात  
उनके समक्ष दिनांक  
06.12.22

20/10/22  वकुलप उपजिला जमीन अधीन  
मप अधीन उपजिला जमीन ने अधीन  
पत्र पेश कर अज्ञात दिया कि अधीन सराज देवी  
उक्त अधीन पत्र के विरुद्ध करने का मिटिंग  
दिया जिसे लीडर डेट 14.09.2022 की  
जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत  
दिया जाता है।  
Cont.

तारिख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज

पंजावली खारिज की जाती, पंजावली खारिज  
रुफ्त हो इट नम्बर ~~के~~ इट की जाती  
है। *UW*

जज इट नम्बर  
(एस.टी.ओ.) जायल